फैक्स/ई0मेल/प्राथमिकता

संख्या-जन-165/छः-पु-5-15-800(21)/2015

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

विषयः राष्ट्रीयकृत बैंकों की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ तथा शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक, रामगढ ताल शाखा गोरखपुर द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में उनकी शाखाओं में रखें हुए जनता के धन, कई शाखाओं में करेंसी चेस्ट, जो आर0बी0आई और सरकार का रोकड रखती है, की सुरक्षा हेतु आवश्यक गनों के लिए लाइसेंस जारी नहीं किये जा रहें है जिससे बैंकों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

2. मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ के अनुरोध के दृष्टिगत इस प्रकरण का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों/अन्य बैंक एवं उनके शाखाओं की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने के प्रकरण में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.12.1987, जिसे उत्तर प्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 10.07.1998 एवं 29.08.1996 के द्वारा पूर्व में ही प्रसारित किया गया है, द्वारा पूर्व से ही इस समस्या के समाधान की व्यवस्था विद्यमान है।

3. वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन की योजना के अन्तर्गत देश एवं प्रदेश के समस्त जिलों के ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत एवं अन्य बैंकों की शाखाये खोली जा रहीं है। यह सर्वविदित है कि इन बैंकों में नकदी का लेन-देन तो होता ही है, साथ ही साथ समय-समय पर प्रत्येक बैंक की कतिपय शाखाओं द्वारा करेंसी का आदान-प्रदान किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के तीन जनपद-भदोही, सोनभद्र तथा मीरजापुर नक्सल प्रभावित है, जहाँ सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रबन्ध किये गये है। इस प्रकार बैकिंग सेक्टर सुरक्षा की दृष्टि से एक रिस्क-प्रोन सेक्टर है, जिसके लिए जान एवं माल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

दोनों की ही सुरक्षा हेतु जिला स्तर पर विशेष उपाय किये जाने आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य है।

4. अतएव पुनः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों का आशय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट 1934 के अन्तर्गत गठित तथा उक्त अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुसूचित बैंकों से है) व अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के संबंध में जब भी उनके द्वारा बैंक/सरकारी प्रतिष्ठान के नाम पर शस्त्र लाइसेंस जारी करने का आवेदन किया जाए, तो उस स्थिति में प्राथमिकतापूर्वक समयबद्ध ढंग से शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करते हुए शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत नक्सल प्रभावित जिलों में स्थापित राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं की सुरक्षा हेतु यथा अपेक्षित पुलिस गार्ड की तैनाती हेतु अपने स्तर से भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को समुचित निर्देश देने का कष्ट करे।

2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3-अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।

4-पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), उत्तर प्रदेश।

5-मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कर्ण सिंह चौहान)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।